



89



## न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2018 निगरानी-2663/2018/ ~~शुभ~~ सिंगरौली/शुरू

श्री. S.P. Dhalead Adv.

द्वारा आज दि. 1-5-18 को  
प्रस्तुत। प्रारंभिक वर्क हेतु  
दिनांक 11-5-18 निवत।

क्र. 1-5-18  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मीरू पुत्र जयमंगल लोहार मृतक वारिसान -

1. रामलखन पुत्र मीरू लोहार
2. लालता प्रसाद
3. अम्बिका प्रसाद
4. जयप्रसाद
5. चंद्रिका प्रसाद
6. सन्तकुमार
7. लालकुमार

पुत्रगण  
रामभजतन

समस्त निवासीगण ग्राम करुआरी तहसील बैदन  
जिला सिंगरौली (सीधी) म.प्र.

— आवेदकगण

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा अपर कलेक्टर बैदन जिला  
सिंगरौली (सीधी)

— अनावेदक

न्यायालय महाधिवक्ता, ग्वालियर  
आयुक्त प्रति. से 48  
दिनांक 01/05/18  
राजस्व म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 न्यायालय  
अपर कलेक्टर बैदन जिला सिंगरौली (सीधी) के प्र.क. 56/स्व.  
निगरानी/1998-99 में पारित आदेश दिनांक 27.02.1999 के विरुद्ध  
जानकारी दिनांक से निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2663/2018/सिंगरौली/भू.रा.

मीरू (मृतक) वारिसान रामलखन

विरूद्ध

म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-04-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 56/स्वप्रेरणा निगरानी/1998-99 में पारित आदेश दिनांक 27-02-1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. यह प्रकरण दिनांक 26-06-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे ।</p> <p>(बी.एम.शर्मा) सदस्य</p>	